

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

Notification

New Delhi, the 3rd July 2013

[S.O.------(E) .- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, a Commission established by the Central Government of Himachal Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely: -

- (a) amount received in the form of Government grants;
- (b) amount received as licence fee from licensees in electricity;
- (c) amount received as Court fee or petition fee; and
- (d) interest earned on Government grants and fee received.

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2012-13 and shall applicable for the financial year 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

3. The notification shall be effective subject to the following conditions, namely :-

- (a) the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission does not engage in any commercial activity;
- (b) the activities and the nature of the specified income of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission remain unchanged throughout the financial year ; and
- (c) the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of setion 139 of the Income-tax Act, 1961.

Sl. Ajay

4/7/13

Notification no - 49/2013

[F.No.196/50/2012-ITA.1]



(Deepshikha Sharma)
Deputy Secretary(ITA.1)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Press,
Near Rajouri Garden, New Delhi.

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 03 जुलाई 2013

का.आ. (अ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग को उद्भूत हो रही निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उसे हिमाचल प्रदेश की केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग अधिसूचित करती है, नामतः-

- (क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) विद्युत में अनुज्ञप्तिधारियों से अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त राशि;
- (ग) न्यायालय शुल्क अथवा याचिका शुल्क के रूप में प्राप्त राशि; तथा
- (घ) सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्त शुल्क।

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2012-13 हेतु लागू हुआ माना जाएगा तथा यह वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में भी लागू होगा।

3. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, नामतः-

- (क) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं है;
- (ख) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की गतिविधियां एवं विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष के दौरान एक ही रहती है; तथा
- (ग) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (घ) के उपबंध के अनुसार अपनी आय की विवरणी दाखिल करता है।

[फा.सं. 196/50/2012-आई टी ए-1]

अधिसूचना नं. 49/2013

दीपशिखा
(दीपशिखा शर्मा)
उप सचिव (आईटीए-1)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रैस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के पास),
नई दिल्ली।